



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग—4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 24 अक्टूबर, 2020  
कार्तिक 2, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन  
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या 10/2020/1137/94-स्टाम्प0नि0-2-2020-700(17)-2020  
लखनऊ, 24 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना  
आदेश

प०आ०-275

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, पीएम स्वनिधि योजनान्तर्गत रु 10,000/- तक के ऋण की स्वीकृति हेतु निष्पादित ऋण/आडमान करार पर संदेय स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,  
वीना कुमारी,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 10/2020/1137/94-Stamp Nibandhan-2-2020-700(17)-2020, dated, October 24, 2020 :

No. 10/2020/1137/94-Stamp Nibandhan-2-2020-700(17)-2020

Dated Lucknow, October 24, 2020

IN exercise of the powers under clause (a) of sub section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor, is pleased to remit with effect from the publication of this notification, stamp duty payable on the lone/hypothecation agreement executed for the approval of the lone upto Rs. 10,000/- under PM Swanidhi Yojana.

By order,  
VEENA KUMARI,  
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 333 राजपत्र-2020-(794)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।  
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 6 सा० स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन-2020-(795)-100 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।